भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. A.60011/28/2012-HRPC/293

21st Aug 2017

The Regional Executive Director
Airports Authority of India
Northern/Western/Eastern/Southern/
North East Region
New Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director,
Airports Authority of India
RCDU/FIU,
New Delhi

The Airport Director
Airports Authority of India
Kolkatta/Chennai Airport

The Director,
Indian Aviation Academy
New Delhi

The Principal,
Civil Aviation Training College (CATC)
Bamrauli,
Allahabad

The General Manager
Airports Authority of India
CRSD/E&M Workshop
New Delhi

**CHRM Circular no: 23 /2017**

**Subject: Counselling, Retraining and Redeployment (CRR) Scheme.**

It is brought to the notice of all AAI officials that Department of Public Enterprise (DPE) has evolved a social safety net scheme namely, **Counselling, Retraining & Redeployment (CRR) Scheme** to provide opportunities of self/wage employment to its **employees separated under Voluntary Retirement Scheme (VRS)/Voluntary Separation Scheme (VSS).**

2. The **objective** of CRR scheme is to enable **separated employees** to sustain themselves through **self/wage redeployment opportunities.** Under this scheme, separated employees will be given training by Department of Public Enterprise (DPE) & National Skill Development Corporation (NSDC) in association with training partners.

3. **Eligibility:** This scheme is applicable to VRS optee who are below 58 years of age, if she/he wants training herself/himself. In case she/he does not want training to herself/himself, benefit of this scheme could be extended to dependent of VRS optee and one person per family of VRS optee could also be consider in lieu of VRS optee having age up to 60 years. However, VRS optees would be given priority over the family members. Following eligibility criteria will apply for including the dependents of VRS optees under CRR Scheme:

- Minimum age – 18 years.
- Maximum age – 45 years (in case wife of VRS Optee is a dependent, there would be no age bar)

- Only one dependent, that too who is unemployed, will be considered from each family.

*In case of deceased VRS Optee (up to 60 years of age), her/his dependent, if not earlier undergone training under CRR Scheme will be consider for the benefits of the Scheme.

4. Detailed guideline related to CRR scheme is mentioned in below link:

http://dpe.nic.in/sites/default/files/Revised_CRR_Guidelines.pdf

5. All REDs/APDs are requested to ensure that the content of this scheme should be brought to the notice of all concerned for wider publicity and pre counselling should be done on awareness of CRR Scheme before release of such employees who take VRS/VSS. All REDs/APDs are advised to forward a list of employees with contact details (Name, Present Address, and Phone Number) who are/will be going to take VRS/VSS to External Coordination cell, CHQ, which acts as Nodal Point at CHQ.

(Sanjay Jain)
Executive Director (HR)

Distribution:

- DGM (ES) to Chairman
- DGMS (ES) to Member(Planning)/Member(Fin)/Member(HR)/Member(ANS)/ Member(Ops)/ CVO
- ED (ATM)
- All HODs at CHQ/Operational Office/AAI Office Complex
- GM(IT) for uploading on AAI website
- General Secretary - AAOA(I)/ATC (G)/ACOA(I)/AAI Engg. Guild(I)/ CNS Officers' Guild / IAAIOA/ AAI SC ST Association
- General Secretary, AAEU

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं.ए.60011/28/2012-एचआरपीसी/293

21 अगस्त, 2017

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी /पश्चिमी /पूर्वी / दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी
नई दिल्ली /मुंबई /कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
आरसीडीयू/एफआईयू,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन आकदमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली
इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सीआरएसडी/वि.एवं यां कर्मशाला
नई दिल्ली

**निगमित मानव संसाधन परिपत्र सं 23/2017**

**विषय: परामर्श, पुर्नप्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना**

भाविप्रा के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना / स्वैच्छिक पृथक्करण योजना** के तहत पृथक हुए कर्मचारियों हेतु स्वयं / मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के अवसरों के लिए **परामर्श, पुर्नप्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना** नामक एक सामाजिक सुरक्षा नेट योजना आरंभ की है।

2.सीआरआर योजना का उदेश्य **पृथक हुए कर्मचारियों** को **स्वयं / मजदूरी पुनर्नियोजन अवसरों** के माध्यम से समायोजित होने के लिए समर्थ बनाना है । इस योजना के अंतर्गत, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी) द्वारा प्रशिक्षण पार्टनरों के सहयोग से पृथक हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

3.**पात्रता** : यह योजना उन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारियों के लिए लागू है, जिनकी आयु 58 वर्ष से कम है, यदि वह प्रशिक्षण लेना चाहता/चाहती है । यदि वह प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता/चाहती है तो इस योजना का लाभ स्वैच्छिक विकल्पधारी के परिवार के आश्रित सदस्यं को देने पर विचार किया जा सकता है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो, के स्थान पर प्रति परिवार एक सदस्य को लाभ देने पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी को परिवार के सदस्यों में से प्राथमिकता दी जाएगी । सीआरआर योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी के आश्रितो को शामिल करने हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:-

- न्यूनतम आयु- 18 वर्ष
- अधिकतम आयु- 45 वर्ष (यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारी की पत्नी आश्रित है तो आयु की कोई सीमा नहीं होगी)
- प्रत्येक परिवार के केवल एक आश्रित, जो बेरोजगार हो, पर ही विचार किया जाएगा ।

*मृत वीआरएस विकल्पधारी के मामले में (60 वर्ष की आयु तक), उसके आश्रित को यदि पहले सीआरआर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, उसे योजना के अंतर्गत लाभ देने पर विचार किया जाएगा।

4. सीआरआर योजना से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए गए लिंक में उल्लिखित हैं:

   http://dpe.nic.in/sites/default/files/Revised CRR Guidelines.pdf

5. सभी क्षेत्रीय कार्यपालक / विमानपत्तन निदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस योजना की विषयवस्तु को व्यापक प्रचार के लिए सभी कर्मचारियों के नोटिस में लाया जाए तथा ऐसे कर्मचारियों, जो वीआरएस / वीएसएस लेते हैं, उन्हें कार्यमुक्त करने से पहले सीआरआर योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उनकी प्री-काउंसलिंग की जाए । सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों / विमानपत्तन निदेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वीआरएस / वीएसएस ले रहे/लेने वाले कर्मचारियों के संपर्क विवरण (नाम, वर्तमान पता और फोन नंबर) की एक सूची बाह्य समन्वय प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय को भेजें, जो निगमित मुख्यालय में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है ।

**(संजय जैन)**
**कार्यपालक निदेशक (मासं)**

वितरण :

- अध्यक्ष महोदय के उपमहाप्रबंधक (ईएस)
- सदस्य (योजना)/सदस्य (वित्त) / सदस्य (मानव संसाधन) / सदस्य (एएनएस) /सदस्य (प्रचालन) के उ.म.प्र (कार्यपालक सचिव)/मुख्य सतर्कता अधिकरी
- कार्यपालक निदेशक (एटीएम)
- निगमित मुख्यालय/प्रचालन कार्यालय/ भाविप्रा कार्यालय परिसर के सभी विभागाध्यक्ष
- महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) -भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- महासचिव,एएओए (आई)/एटीसी(जी)/एसीओए (आई)/भाविप्रा इंजीनियरिंग गिल्ड (आई)/सीएनएस अधकरी गिल्ड/ आईएएआईओए/एएआई अजाअजजा एसोशिएसन
- महासचिव,एएईयू